(250)

(307)

<u>न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (म0प्र0)</u>

प्र.क्र. 5180-दो/17

COURT FEE
20 Rs.
भारत INDIA
बीस रुपये
TWENTY RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

1. संजीव कुमार सिंह तनय लक्ष्मी प्रताप सिंह
2. केशव प्रताप सिह तनय सम्पत्ति सिंह
3. सरस्वती सिंह पत्नी श्री कन्हैया लाल सिंह
4. कुन्तिमा सिंह पत्नी श्री नारेन्द्र बहादुर सिंह

सभी निवासी ग्राम–सज़हा, तहसील–रामपुर नैकिन, जिला–सीधी (म0प्र0)

——————आवेदकगण

<u>बनाम</u>

1. लालजी शर्मा तनय रामसुन्दर शर्मा निवासी ग्राम–सजहा, तहसील–रामपुर नैकिन, जिला–सीधी (म0प्र0)

——————अनावेदकगण

2. मध्यप्रदेश शासन

निगरानी याचिका विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर महोदय सीधी जिला–सीधी के प्रकरण क्रमांक– 11/अ–74/2014–15 में पारित आदेश दिनांक– 27.03.2017 जिसके द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से सुनवाई करते हुए आदेश पारित किया गया है।

निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा– 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

आवेदकगण की ओर से निम्नलिखित आधारों पर यह निगरानी याचिका प्रस्तुत है:–

1. यह कि आदेश अधीनस्थ न्यायालय विधि प्रक्रिया एवं न्याय के प्रतिकूल होने के कारण काबिल निरस्तगी योग्य है।

2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय में आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज एवं न्याय दृष्टांतो का कतई अवलोकन नहीं किया व मनमाना तरीके से

XXXIX(a)-BR(H)-11

200

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक **R–5180-II / 17** जिला–सीधी

संजीव कुमार सिंह / लालजी शर्मा

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एन.के. मिश्रा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर, जिला सीधी प्रकरण क्रमांक 11/अ–74/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 27.03.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 10.07.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	